an>

Title: Need to formulate a comprehensive programme to protect children from all forms of exploitation in the country.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) ः बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में संयुक्त राÂट्र के प्रस्ताव को भारत सरकार भी पालन करने के लिए क्चनबद्ध है, लेकिन जो जमीनी परिस्थितियां हैं वे कागज पर लिखी हुई इन परस्थितियों से भिन्न हैं। देश के प्रत्येक इलाके में बाल मजदूरी आज भी बहुत आसानी से देखने को मिल जाती है। आज पर्यटन की चपेट में भी बच्चे आ रहे हैं और उनके दैहिक एवं यौन शोÂाण के मामले में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। "किशोर न्याय अधिनियम" के तहत किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियों और विशेÂा किशोर पुलिस इकाई की जो सक्रियता इन स्थलों पर होनी चाहिए, वह नहीं है। नतीजे के रूप में यहाँ पर बच्चों के शोÂाण का एक पूरा नेटवर्क बड़े स्तर पर अपना काम कर रहा है। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल पर बाल भिखारियों, कूड़ा बीनने वाले बच्चों एवं घरेलू नौकर के रूप में काम करने वाले बच्चों की संख्या में कमी नहीं आई है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि इस बुराई से लड़ने के लिए एक व्यापक कार्यनीति बनाई जाए तथा गरीब बच्चों को शोÂाण से बचाया जाए।